राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 2670/2024

विश्राम निनामा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, प्रतापगढ़।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 29.08.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमलीफलां पीओ देवला, पंचायत समिति धरियावाद, ब्लॉक प्रतापगढ़ हाल प्रतिनियुक्ति पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाटपुरा, प्रतापगढ में कार्यरत है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 15.07.2024 के द्वारा उक्त स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने विशेष परिस्थिति के आधार पर दिनांक 12.07.2024 को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के लिये आवेदन किया। चूंकि अपीलार्थी पैरालाईसिस एवं साईटिका से पीडित होने के कारण अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का पदस्थापन 80 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति अवधि बढाने बाबत् दिनांक 12.08.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी गंभीर रूप से बीमार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की गंभीर बीमारी को देखते हुये उसे प्रतिनियुक्ति पदस्थापन राजकीय प्राथमिक

विद्यालय, कजली वाली घाटी, ग्राम पंचायत लम्बा डाबरा, पंचायत समिति सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़ में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमलीफलां पीओ देवला, पंचायत समिति धरियावाद, ब्लॉक प्रतापगढ़ हाल प्रतिनियुक्ति पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाटपुरा, प्रतापगढ में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को कार्यमुक्त आदेश दिनांक 12.07.2024 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमलीफलां पीओ देवला, पंचायत समिति धरियावाद, ब्लॉक प्रतापगढ़ के लिये कार्यमुक्त किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ हेतु पदस्थापित किया गया था और उसे उक्त आदेश के द्वारा अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें जनहित में/छात्रहित में कहां पर ली जानी हैं। अपीलार्थी का पदस्थापन प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही है। अतः अपीलार्थी के तर्कों में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इसलिये अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य